एनके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : ओमैक्स स्क्वायर, प्लॉट नं. 14, 5वां तल, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जसोला, नई दिल्ली-110025

CIN : L17299DL1983PLC163230

TEL:+91 1161119313

ईमेल आईडी : n.ktextiles123@gmail.com

वेबसाईट : www.nktil.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक सं. 05/2022-23 कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय : ओमैक्स स्क्वायर, प्लॉट नं. 14, 5वां तल, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जसोला, नई दिल्ली-110025 में 2 फरवरी, 2023 (गुरुवार) को 3.30 बजे अप. में निम्न एजेण्डा मदों पर परिचर्चा के लिये आयोजित की जाएगी:

1. सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अनुसार 31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों को अभिलेख पर लेने,
2. अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य व्यवसाय पर विचार करने।

बोर्ड के आदेश से
कृते, एनके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता/-
(बलवीर सिंह)
निदेशक
DIN: 00027438

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 19.01.2023

प्रीमियम मर्चेन्टस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : ओमैक्स स्क्वायर, प्लॉट नं. 14, 5वां तल, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जसोला, नई दिल्ली-110025

CIN : L51909DL1985PLC021077,

TEL:+91-11-61119661

ईमेल आईडी : premiummerchants123@gmail.com

वेबसाईट : www.pmltd.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक सं. 06/2022-23 कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय : ओमैक्स स्क्वायर, प्लॉट नं. 14, 5वां तल, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जसोला, नई दिल्ली-110025 में 1 फरवरी, 2023 (बुधवार) को 3.00 बजे अप. में निम्न एजेण्डा मदों पर परिचर्चा के लिए आयोजित की जाएगी।

1. सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियम 33 के अनुसार 31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों को अभिलेख पर लेने;
ii. अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य व्यवसाय पर विचार करने।

बोर्ड के आदेश से
कृते, प्रीमियम मर्चेन्ट्स लिमिटेड
हस्ता/-
(बलवीर सिंह)
निदेशक
DIN: 00027438

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 18.01.2023

दक्षिण रेलवे

ई-निविदा सूचना सं. एम/एसजी, 2022-23-324

तिथि 14.01.2023

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरि. डीएसटीई/एमएएस द्वारा निम्न कार्यों के लिए ई-निविदा आमंत्रित है।

ई-निविदा सूचना सं. एम/एसजी, 2022-23-324

कार्य का नाम : चेन्नई मंडल के एजेजे-जेटीजे खंड में 130 केएमपीएच तक गति बढ़ाने के लिए सिग्नलिंग व्यवस्था के प्रोन्नयन के सिलसिले में सिगनल पोशन का कार्य/अनुमनित नगदी मूल्य (रु.) : 93.44 लाख, पूर्णता अवधि : 3 माह

निविदा का सम्पूर्ण विवरिण ई-निविदा पोर्टल www.ireps.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूर संचार अभियंता
चेन्नई मंडल-600003

Follow us on : twitter.com/GMSRailway

प्रपत्र सं. V

ण वसूली अधिकरण, लखनऊ

फॉर्म जी

रूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

नई दिल्ली में रियल एस्टेट व्यवसाय में परिचालित फोकस रीयलकॉन प्राईवेट लिमिटेड

दिवाला एवं शोधन अक्षमता (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए इन्सॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 36(ए)(1) के अंतर्गत)

		संगत विवरण
1.	पैन/सीआईएन/एलएलपी नं. के साथ कॉर्पोरेट देनदार का नाम	फोकस रीयलकॉन प्राईवेट लिमिटेड U70101DL2010PTC210013
2.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय : एच. नं. 4–बी, ऑफिस नं. 25, फर्स्ट फ्लोर, आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स, बिहाइन्ड शिवा मार्केट विलेज. पीतमपुरा नई दिल्ली नॉर्थ वेस्ट डीए 110034 इन
3.	वेबसाइट का यूआरएल	लागू नहीं
4.	स्थान का विवरण जहां स्थायी परिसंपत्तियों की अधिक बहुसंख्या है	पंजीकृत कार्यालय : एच. नं. 4–बी, ऑफिस नं. 25, फर्स्ट फ्लोर, आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स, बिहाइन्ड शिवा मार्केट विलेज.
5.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता	सीआईआरपी प्रारंभ होने की तिथि को कोई प्लांट एवं मशीनरी नहीं
6.	अंतिम वित्तीय वर्ष में बेचे गये मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा एवं मूल्य	पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित ऐसा कोई डेटा प्रदान नही किया गया था।
7.	कर्मचारीगण/कामगारों की संख्या	सीआईआरपी प्रारंभ होने की तिथि के अनुसार कॉर्पोरेट देनदार के पेरोल पर कोई कर्मचारी/कर्मचारी नहीं है।
8.	दो वर्षों का वित्तीय विवरण पर अनुरोध (अनुसूची सहित), लेनदारों की सूची सहित विस्तृत विवरण, प्रक्रिया के अनुवर्ती कार्यक्रमों के लिए संगत विवरण उपलब्ध हैं :	रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को irpfocus2022@gmail.com अनुरोध भेजकर प्राप्त की जा सकती है
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत पर अनुरोध प्रस्ताव के लिए योग्यता उपलब्ध है :	रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को irpfocus2022@gmail.com अनुरोध भेजकर प्राप्त की जा सकती है
10.	रूचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि	04.02.2023
11.	भावी रिजोल्यूशन आवेदकों की वैकल्पिक सूची जारी करने की तिथि	14.02.2023
12.	वैकल्पिक सूची के लिए आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	19.02.2023
13.	ईओआई जमा करने के लिए प्रोसेस ई–मेल	ई–मेल आईडी : irpfocus2022@gmail.com

हस्ता/–
अजय कुमार सिवाच
रिजोल्यूशन प्रोफेशनल
फोकस रीयलकॉन प्राईवेट लिमिटेड (सीआईआरपी के तहत)
पंजीकरण संख्या IBBI/IPA-002/IP-N00668/2018-2019/12214
ई–मेल आई डी : irpfocus2022@gmail.com

दिनांक : 20.01.2023
स्थान : नई दिल्ली

एक्सिस बैंक लिमिटेड

(सीआईएनः एल65110जीजे1993पीएलसी020769)

निगमित कार्यालय, एक्सिस भवन, स्ट्रक्चर्ड एसेट्स ग्रुप,सी–2, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई – 400025

दूरभाष : 91 9920085385, www.axisbank.com

अधिग्रहण सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि,

एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) ("उक्त अधिनियम") के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("उक्त नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 13–05–2022 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ता/गारंटरों/बंधककर्ताओं अर्थात् के सेरा सेरा डिजिटल सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड, के सेरा सेरा मिनिप्लेक्स लिमिटेड, श्री सतीश रामस्वरूप पंचारिया, श्री धर्मवीर मगन सिंह शेखावत और केएसएस लिमिटेड को, सूचना में अंकित, 30–04–2022 के अनुसार, राशि रु. 18,48,97,851/– (रुपये अट्ठारह करोड़ अड़तालिस लाख सत्तानवे हजार आठ सौ इक्यावन मात्र) का, उपर्युक्त राशि पर संविदागत दर पर 01–05–2022 से प्रभावी भावी ब्याज और संपूर्ण राशि का भुगतान होने तक उपगत हुये/उपगत होने वाले आकस्मिक व्ययों, लागतों, शुल्कों, इत्यादि के साथ, उक्त सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि यहां इसमें उपरोक्त वर्णित उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता उक्त निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता/गारंटरों/बंधककर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि रिसीवर, श्री रित्विक चावला ने, उक्त नियमावली के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के अंतर्गत माननीय मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली में निहित शक्तियों के निबंधनों के अंतर्गत सीआईएस नं. 1640/2022 में माननीय मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23 दिसंबर 2022 के अनुपालन में 16 जनवरी 2023 को यहां इसमें निम्न विवरणित अचल संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है तथा इसे एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी को सौंप दिया है।

उधारकर्ता/गारंटरों/बंधककर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

उधारकर्ता/गारंटरों/बंधककर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि विषयगत संपत्ति का लेन–देन न करें तथा उक्त संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, 30–04–2022 के अनुसार, रु. 18,48,97,851/– (रुपये अट्ठारह करोड़ अड़तालिस लाख सत्तानवे हजार आठ सौ इक्यावन मात्र) की एक राशि और उपर्युक्त राशि पर संविदागत दर पर 01–05–2022 से प्रभावी भावी ब्याज तथा आकस्मिक व्ययों, लागतों, शुल्कों, इत्यादि हेतु एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति अर्थात् यूनिट नं. 516 के समस्त वह भाग तथा अंश, जिनका अधि क्षेत्रफल 1905 वर्ग फुट है, जो पांचवे तल, डी मॉल, जनपद केंद्र, आउटर रिंग रोड, पश्चिम विहार, दिल्ली–110063 में स्थित तथा मैसर्स के सेरा सेरा डिजिटल सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हैं।

चूंकि यहां इसमें उपरोक्त वर्णित उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता उक्त निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता/गारंटरों/बंधककर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि रिसीवर, श्री मनोहर कुमार ने, उक्त नियमावली के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के अंतर्गत माननीय मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली में निहित शक्तियों के निबंधनों के अंतर्गत सीआईएस नं. 1640/2022 में माननीय मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23 दिसंबर 2022 के अनुपालन में 16 जनवरी 2023 को यहां इसमें निम्न विवरणित अचल संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है तथा इसे एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी को सौंप दिया है।

उधारकर्ता/गारंटरों/बंधककर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में